न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2020-00079RAAJodhpur2020-033RTA225 Ranusingh Vs Gensingh etc

राणुसिंह पुत्र श्री तेजसिंह जी जाति राजपूत निवासी
तेजासर तहसील बापीणी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. गेनसिंह पुत्र श्री गायडसिंह जी
2. नारायणसिंह पुत्र श्री गायड़सिंह जी
3. जडाव कंवर पत्नि श्री गायडसिंह जी जातियान् राजपूत निवासीगण बेदू कलां तहसील बापीणी जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 11 सितंबर 2019 उपखण्ड अधिकारी, औसियां राजस्व विविध पार्थनापत्र संख्या 200/2019 गेनसिंह व अन्य बनाम राणुसिंह

उपस्थित-
श्री महीराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री पर्वतसिंह भाटी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक से तीन

नि र्ण य

दिनांक : 28 जूलाई 2021

अपीलाण्ट्स ने उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 200/2019 गेनसिंह व अन्य बनाम राणुसिंह में पारित आदेश दिनांक 11 सितंबर 2019 के विरुद्ध यह आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 11 मार्च 2020 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ एक प्रार्थनापत्र भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nakhat Dan Barhath
Date: 2021.07.29 14:56:10 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट्स ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसिंया जिला जोधपुर के समक्ष पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम बेदू कलां की सरहद में स्थित खसरा नं. 29/2 रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम से खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आई हुई हैं। उपरोक्त खसरा की भूमि के पश्चिम दिशा की तरफ खसरा नं. 2132 रकबा 69 बीघा 12 बिस्वा भूमि अप्रार्थी के नाम की खातेदारी व कब्जा काश्त की है जो ग्राम तेजासर में स्थित है। अप्रार्थी की भूमि के उत्तर दिशा के कणे पर एक कदीमी रास्ता आया हुआ है। खसरा नं. 2129 की भूमि में चल रहे रास्ते से आगे जाता है, जिसे नजरी नक्शे में मार्क ए से बी दर्शाया गया है, इसके अलावा प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने के लिए दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अप्रार्थी ने हाल ही में उक्त रास्ते को अवरुद्ध व बंद कर दिया है। प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने का दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा, किन्तु उक्त रास्ते का मामला पारस्परिक सहमति से तय नही हुआ,इसलिए प्रार्थीगण न्यायालय हाजा में उक्त रास्ता तय करने एवं राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहे है। प्रार्थी को उक्त रास्ता अप्रार्थी की [illegible] चौड़ा प्रार्थीगण की भूमि तक तय किया जाकर [illegible] दर्ज किया जावे। प्रार्थीगण विधि अनुसार [illegible] भूमि की दर के अनुसार रास्ते की भूमि का प्रतिकर न्यायालय हाजा में द्वारा अवधारित करने पर अदा करने के लिए तैयार है। अधीनस्थ न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Nakhat Dan Barhath
Date: 2021.07.29 14:56:10 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये बाद तामील अप्रार्थी की तरफ से कोई उपस्थित नही हुआ और न ही अधिवक्ता द्वारा कोई वकालतनामा पेश किया गया। हल्का आर आई से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर शामिल मिसल की गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई व पत्रावली व आर आई की मौका रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 11.0.2019 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट के खेत खसरा नं. 29/2 में आने जाने हेतु अपीलांट के खेत खसरा नं. 2132 की उत्तरी माठ मे न तो कभी रास्ता था और न ही वर्तमान में कोई रास्ता चलता है। जो रास्ता मौका रिपोर्ट में बताया गया है, वह काल्पनिक रास्ता बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बगैर व नोटिस जारी किये बगैर उक्त एक पक्षीय आदेश जारी किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने नोटिस जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से जारी होना बताया गया है, जबकि नही बताया गया कि रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस किसने प्राप्त किया है तथा किसको तामील करवायी है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बगैर उक्त एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका जांच रिपोर्ट के आधार पर एक पक्षीय निर्णय पारित किया है, जबकि मौका जांच रिपोर्ट के समय न तो अपीलांट हाजिर था और न ही [illegible] के कोई पुत्र हाजिर थे। इतना ही नहीं यदि मौके पर अपीलांट [illegible] पुत्र मौजूद थे तो मौका रिपोर्ट में अपीलांट के पुत्रों के हस्ताक्षर तक नहीं करवाये गये तथा मौका रिपोर्ट मनमानी बनाकर न्यायलय मे पेश की है, जिसका अधीनस्थ न्यायालय ने आधार मानकर अपना मनमाना निर्णय पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Nakhat Dan Barhath
Date: 2021.07.29 14:56:10 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया है। परीक्षण न्यायालय ने कानूनी व्यवस्था को नजर अंदाज कर अपने एक पक्षीय निर्णय में विवेचना की है कि अप्रार्थी नोटिस जारी किये जाने के बाद तामील अप्रार्थी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं और न ही अधिवक्ता द्वारा कोई वकालतनामा पेश किया, जबकि अपीलांट को किसी भी प्रकार का कोई न्यायालय हाजा से नोटिस नहीं मिला और न ही विचाराधीन प्रकरण की जानकारी थी। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अप्रार्थी अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बगैर उसके विरूद्ध किसी भी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। इन कानूनी व्यवस्था को नजर अंदाज कर मनमाना रूप में विवेचना कर नये रास्ता दिये जाने का आदेश पारित कर दिया गया। रेस्पोडेंट्स द्वारा जो नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है, वह तथ्यों एवं वास्तविक स्थिति को छुपातें हुए प्रस्तुत किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.09.2019 की अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 02.03.2020 को जब अपीलांट के घर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राशि जमा करवाने का पत्र प्राप्त हुआ, तब उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। तब अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर नकल हेतु दिनांक 06.03.2021 को आवेदन किया और दिनांक 06.03.2021 को नकल प्राप्त होने पर यह अपील तारीख जानकारी से अंदर म्याद प्रस्तुत की जा रही है। जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील को अंदर म्याद सुमार किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट अंदर म्याद सुमार की जाकर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Nakhat Dan Barhath
Date: 2021.07.29 14:56:10 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11 सितबंर 2019 को अपास्त किये जाने का आदेश फरमावें।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से तीन ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या एक से तीन के पास अपीलाधीन रास्ते के अलावा रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन के खेत खसरा नं. 29/2 में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भेजे गये, फिर भी अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों के विस्तृत विवेचन के आधार पर लघुतम एवं वैकल्पिक रास्ते का आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायिक दृष्टि से विधिसम्मत है। अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट्स म्याद बाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांट के विरुद्ध एकतरफा पारित किया गया, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में रजिस्टर्ड ए.डी. से नोटिस भिजवाए जाने का कोई आदेश नहीं है। तामीली की सामान्य प्रक्रिया का पालन नहीं कर बिना आदेश रजिस्टर्ड ए.डी. भेजने और उसे तामील की श्रेणी में मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। लिहाजा अपीलांट पर सम्मनों की तामील तामील नही मानी जा सकती, जिससे अपीलाधीन आदेश बाबत समुचित समय पर जानकारी नहीं होना स्वभाविक है। दूसरे, प्रकरण की परिस्थितियों एवं तथ्यों पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nalnat Dan Barhath
Date: 2021.07.29 14:56:10 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त किये गये विवेचन के परिप्रेक्ष्य में गुणावगुण के आधार पर अपील अपीलाण्ट सारवान पायी जाती हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अदालत हाजा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम एवं उसके संलग्न प्रस्तुत शपथपत्र में वर्णित बिन्दुओं एवं इस संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट द्वारा की गयी बहस पर विश्वास करते हुए अपील-अपीलाण्ट अन्दर मियादशुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध आदेशिकाओं के अवलोकन के मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा **दिनांक** 02.07.2019 को प्रार्थना पत्र **दर्ज रजिस्टर** किया जाकर अप्रार्थी को **जरिये सम्मन तलब किये जाने का आदेश** पारित किया। आदेशिका दिनांक 17.07.2019 एवं 31.07.2019 में पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने/दीगर कार्यो में व्यस्त होने की मोहर लगाकर पेशी इल्तवा की गई। आदेशिका दिनांक 19.08.2019 के मुताबिक अप्रार्थी को रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन भेजा गया, लेकिन न्यायालय समय में बार-बार आवाजे लगाई गई, लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। **उक्त आदेशिकाओं में कही पर भी अप्रार्थी को रजिस्टर्ड ए.डी. से सम्मन भेजे जाने का कोई आदेश उपलब्ध नहीं है।** बिना किसी आदेश के अप्रार्थी के सम्मन तामील मानकर उसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदत्त अपीलाधीन रास्ते में सांतत्य (Continuity) का अभाव है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट नही किया गया कि अपीलांट को प्रदत खसरा नं. 2132 में से प्रदत रास्ता ए से बी आगे जाकर किस ओर मुमकिन रास्ते में मिलेगा। **खसरा नं. 2129 जो गैर मुमकिन नाडी है जो नाडी का आगोर पानी आवक क्षेत्र है जो अन्य गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित होकर**

Signature Not Verified
Digitally signed by Nakhat Dan Barhath
Date: 2021.07.29 14:56:10 IST
Reason: SelfAttested

केवल जल संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र है। उसमें से अप्रत्यक्ष रूप से जाने की इजाजत देना विधिसम्मत नहीं है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ता नियमानुसार एवं विधिसम्मत नही है। इन परिस्थितियों में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन को ध्यान में रखते हुए अपील अपीलाण्ट्स आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11 सितंबर 2019 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मौके पर उपलब्ध समस्त वैकल्पिक रास्तों की संभावनाओं पर विचार करें तथा खसरा नं. 2139 के खातेदारान् को पक्षकार संयोजित करते हुए उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिये जाने बाबत् विधिसम्मत आदेश पारित किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/7/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nakhat Dan Barhath
Date: 2021.07.29 14:56:10 IST
Reason: SelfAttested